

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक-एफ.10(14)आयु./2022 पार्ट 5

जयपुर, दिनांक :- 30 AUG 2022

—: आदेश :-

प्रशासनिक कारणों से लोकहित में निम्नांकित वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, ग्रेड-1/ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ग्रेड-1A/चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	डॉ. अनुराग दुबे	MO	राजकीय आयुर्वेद औषधालय, बडगोंव (कोटा)	राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा
2	डॉ. जितेन्द्र कोठारी	SMO-I	राजकीय आयुर्वेद औषधालय, माधोराजपुरा (जयपुर 'ब')	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर संभाग।
3	डॉ. हनुमान जोशी	SMO-I	राजकीय आयुर्वेद औषधालय, चितीवास (अजमेर)	प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड, जयपुर।

नोट:-

- 1 उक्त में से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किये गये है, को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
- 2 उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 किसी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कर रखा हो तो उसकी क्रियान्विति विधिक परामर्श उपरान्त सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।

आज्ञा से,

(आर.एन.शर्मा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
- 3 निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को निर्देशानुसार प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश पर किसी कार्मिक द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन या अन्य आदेश प्राप्त किये जाते हैं जो प्रथमतः राज्य पक्ष को त्वरितता से रख किसी भी स्थगन/अन्य आदेश को राज्य पक्ष में निस्तारित कराया जावे, यदि फिर भी कोई स्थगन या अन्य आदेश पारित होता है तो निदेशालय/शासन स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जावे, ताकि दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उक्त में से किसी अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय/अधिकरण से स्थगन प्राप्त किया जाता है तो निदेशालय/शासन की बिना पूर्व अनुमति के कार्य ग्रहण करवाये जाने पर संबंधित नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।
- 4 संबंधित चिकित्साधिकारी मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
- 5 रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

कमांकप.1/प्रति1/चिकि./स्थाना./2021/16267

दिनांक: 30.8.2022

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग राजस्थान-जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. उपविधि परामर्शी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, कोटा/जयपुर/अजमेर
5. सदस्य सचिव, प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड जयपुर।
6. प्राचार्य एवं राज्य नोडल अधिकारी (बजट घोषणा), राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
7. प्राचार्य, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय, कोटा
8. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र-अजमेर।
9. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, कोटा/जयपुर 'ब'/अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश पर किसी अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश या अन्य आदेश प्राप्त किये जाते हैं तो निदेशालय/शासन स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जावे, ताकि दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। निदेशालय/शासन की बिना अनुमति के कार्यग्रहण करवाये जाने पर सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान-अजमेर को दी जाकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित कार्यालयों को जरिये ई-मेल करने हेतु।
11. सामान्य-पत्रावली।

(डॉ. राकेश कुमार गौड)
सहायक निदेशक